संख्या-37/2015/172बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु पी.एल.ए. में जमा धनराशि का आहरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या-720(1)/35-आ-1/2011 दिनांक 30 मई, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-904/35-आ-1/2012 दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के माध्यम से वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्टक्चर परियोजना की रू 691.00 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 320.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई और विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण व्यय कर लिया गया। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-9/2015/66बीपी/35-1-2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा उक्त परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू 278.96 करोड़ अवमुक्त कर कार्यदायी संस्था मण्डी परिषद के पी.एल.ए. में जमा की गई है, जिसमें से शासनादेश दिनांक 21/2015/95बीपी/35-1-2015 दिनांक 08 मई, 2015 द्वारा रू.126 करोड़ आहरित की गई है, जिसका उपयोग विभाग द्वारा कर लिया गया है। एतद् द्वारा परियोजना के कार्यो हेतु पी.एल.ए. में रखी धनराशि में से अवशेष रू. 152.96 करोड़ (रूपये एक सौ बावन करोड़ छियान्वे लाख मात्र) की धनराशि का आहरण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं 30.03.2015 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी। सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगीं।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-5-1035/दस-2015, दिनांक 17 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–37/2015/172 बीपी (1)/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
5-निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9-मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
10-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।